भा0कृ0अनु0प0– केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड़, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर (राजस्थान) – 334006

पत्रांक– 3(45)bk/2012/vol-II/ 1279 दिनांक 22–08–2016

अल्पकालीन सूचना

संस्थान परिसर द्वारा ट्यूबवेल संख्या 2,3 व 4 पर सिंचित क्षेत्र में तकरीबन 19 बीधा क्षेत्र में ग्वार की फसल बोई हुई है जिसकी देखभाल, सिचाई, खरपतवार निकालना, कटाई, सुखाई थ्रेसिंग से दाना निकालना, चारा अलग करना व संबंधित सेक्टरों पर पहुँचाने के लिए हिस्से पद्धति के आधार पर जॉब कान्ट्रेक्ट दिया जाना है। जिसकी शर्ते निम्नानुसार है–

1– सारा चारा संस्थान का होगा, ठेकेदार/व्यक्ति का केवल दाने में हिस्सा होगा ।

2– जो भी ठेकेदार/व्यक्ति संस्थान को दाने में अधिक हिस्सा देगा उसी को ठेका आवंटित किया जावेगा।

3-ट्यूबवेल पर उगाये गये ग्वार को पूरी तरह से काटना अथवा उखाड़ना होगा,चाहे किसी पेड़ पर दाना हो अथवा न हो।

4- निविदादाता, ठेकेदार/व्यक्ति को प्रपत्र के साथ अमानत राशि रु 5000/-)रुपये पाँच हजार मात्र (नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में देय जो कि Punjab National Bank, Branch- Beechwal industrial Area, Bikaner (Rajasthan) में भुगतान योग्य हो संलग्न करना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5– कृषि कार्य में काम में आने वाले समस्त औजार मये थ्रेसिंग मशीन ठेकेदार/व्यक्ति की होगी । श्रमिकों की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा भुगतान श्रमिक नियमों के अनुसार ठेकेदार को करने होगें ।

6– संस्थान केवल कटे हुये चारे को एक जगह एकत्रित करने के लिए ट्रेक्टर व ट्रोली उपलब्ध करवा सकता है।

7 - अच्छे थ्रेसर का इस्तेमाल करना होगा ताकि चारा अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त हो सके।

8 – दाना साफ सुथरा व कंकर रहित होना चाहिये ।

9-संस्थान के चारे तथा दाने को संस्थान के गोदामों तक ठेकेदार को अपने श्रमिकों द्वारा पहुंचाना होगा तथा ठेकेदार को ही हिस्से हेतु तुलाई की व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए ट्रेक्टर संस्थान उपलब्ध करायेगा।

10 – कार्यालय आदेश कार्य ठेका मिलते ही तुरंत प्रभाव से प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग के निर्देशानुसार कार्य प्रारम्भ करना होगा।

11- ठेके के दौरान ठेकेदार अथवा उसके व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा।

12– ठेकेदार के पास पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र में से कोई भी एक प्रूफ होना चाहिये।

13-आवश्यकता पड़ने पर प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग के निर्देशानुसार फसल में फव्वारा पद्धति से सिचाई करनी होगी। फव्वारा व पाईप संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बिजली का खर्चा भी संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

14-आवश्यकता पड़ने पर ग्वार की फसल में कीटनाशी/खरपतवारनाशी प्रभारी फार्म के निर्देशानुसार करना होगा । जिसके लिए कीटनाशी/खरपतवारनाशी, ट्रेक्टर व ट्रेक्टर चालित मशीन छिदकाव हेतु संस्थान उपलब्ध कराएगा।

15-संस्थान के प्रभागाध्यक्ष को बिना कोई कारण बताए ठेका/कोटेशन स्वीकार करने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त कार्य हेतु सबंधित ठेकेदार/इच्छुक व्यक्ति कार्यालय से निर्धारित कोटेशन प्राप्त कर अथवा वेब साईट से डाउन लोड कर दिनांक 06-09-2016 को अपराहन 1-00 बजे तक अमानत राशि के साथ रु 5000/- (नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष मे देय) क्रय व भण्डार अनुभाग में जमा करा सकते है। प्राप्त कोटेशन उपस्थित व्यक्तियों/ठेकेदारों के समक्ष उसी दिन 3-00 बजे समिति के समक्ष खोले जावेगें। कोटेशन सूचना संस्थान वेबसाईट www.cswri.res.in & c.p.p. portal पर भी उपलब्ध है

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण–

1– नोटिस बोर्ड, के0भे0 व ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर, बीकानेर

2– संस्थान परिसर के मुख्य द्वार

3– नोटिस बोर्ड, फार्म अनुभाग के मुख्य द्वार

4– प्रभारी, ऐ0 के0 एम0 यूनिट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर से आग्रह है कि अल्पकालीन सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर www.cswri.res.in & c.p.p. portal अपलोड करने का श्रम करें